फर्द अहकाम

कन्हैयालाल पुत्र रघुनाथ बनाम कन्हैयालाल पुत्र छीतर वगै0

पत्र संख्या: 71/2025

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11.03.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण ने पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस अन्तिम प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता ने कथन किया कि उक्त विवादित आराजी कृषि भूमि वाके ग्राम सांगानेर पटवार हलका सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खाता संख्या 752 पुराना खाता संख्या 711 खसरा नंबर 2000 रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि के काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण है। तथा प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का अपने अर्को तथा भूमि पर काबिज है। के समय से उपयोग उपभोग किया जा रहा है। प्रार्थीगण के उत्तर में अप्रार्थी की भूमि स्थित है। दिनांक 5.3.2025 दोपहर को अप्रार्थी कन्हैयालाल पुत्र छीतर कुमावत कुछ व्यक्तियों के साथ प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने के प्रयास से आया तथा प्रार्थीगण की भूमि पर बिना अधिकार के अनाधिकृत रूप से घुसने का प्रयास किया तथा स्वयं की भूमि खसरा नंबर 2001 व 2002 में वादी की भूमि को मिलाने का प्रयास करने लगा। तब आस पड़ोस के लोगों द्वारा प्रार्थीगण को सूचना मिलने पर प्रार्थीगण मौके पर पहुंचे तथा अप्रार्थी को प्रार्थीगण की भूमि पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने से मना किया तो अप्रार्थी व उनके साथ कुछ अन्य व्यक्ति आग बबूला हो गए तथा प्रार्थीगण से मारपीट करने पर उतारू हो गए। इस पर आस पड़ोस के लोगों की भीड़ जमा हो गई तथा आपसी समझाइए से अप्रार्थी व उनके साथ आए अन्य व्यक्ति चले गए तथा ऐलानिया धमकी देकर गए कि इस भूमि पर हम कब्जा करके रहेंगे तथा मौका पाकर वापस आएंगे एवं भूमि पर कब्जा कर प्रार्थीगण की भूमि को अपनी जमीन में मिलकर रहेंगे तथा यह भी ऐलानियां कहा कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हमने पुलिस से भी बात कर ली है। इस प्रकार की धमकी देकर तत्समय तोअप्रार्थी व उनके साथ आए अन्य व्यक्ति चले गए। इस पर प्रार्थीगण द्वारा 100 नंबर पर पुलिस को शिकायत की गई किंतु पुलिस वालों ने इस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाई अप्रार्थी व अन्य उन व्यक्तियों के विरुद्ध जो अप्रार्थी के साथ आए थे नहीं की। इस प्रकार प्रार्थीगण को पूर्ण डर बना हुआ है कि अप्रार्थी कभी भी मौका पाकर वादग्रस्त भूमि पर कब्जा कर सकते हैं इसलिए वाद प्रस्तुत करना तुरंत आवश्यक हुआ। कि दिनांक 7.3.2025 को पुनः सायंकाल 5:00 बजे अप्रार्थी व उसके साथ अन्य कुछ व्यक्ति मौके पर आए तथा बिल्डिंग मटेरियल का सामान डालना शुरू कर दिया एवं बजरी व पत्थर डलवाना शुरू कर दिया द्य इसकी सूचना प्रार्थीगण को मिलने पर प्रार्थीगण मौके पर पहुंचे तो सब लोग एक साथ प्रार्थीगण को मारने पर उतारू हो गए तथा धमकी दी कि अगर मौके पर आए तो तुमको जान से मार देंगे तथा भूमि पर कब्जा करके रहेंगे एवं अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी दी की प्रार्थीगण की इस भूमि को अप्रार्थी अपनी भूमि में मिलाकर रहेगा ततसमय भी प्रार्थीगण द्वारा एवं आस–पड़ोस के व्यक्ति जो तत्समय हल्ला–गुल्ला सुनकर इकट्ठे हो गए थे ने अप्रार्थी को समझाया तथा अप्रार्थी एवं उसके साथ आए अन्य व्यक्ति ....लगातार उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

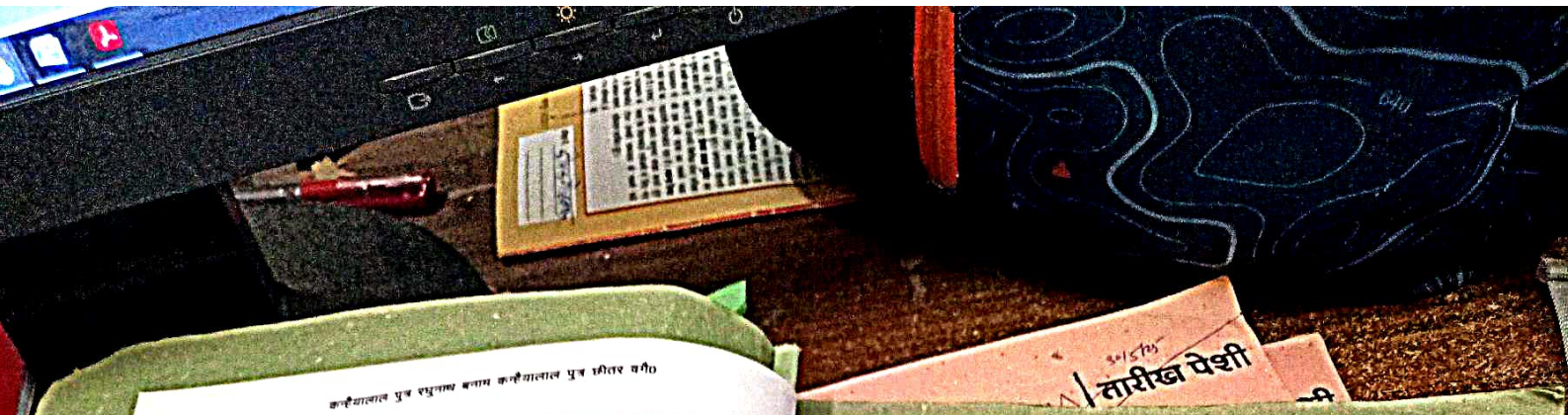

कन्हैयालाल पुत्र रघुनाथ बनाम कन्हैयालाल पुत्र छीतर वगै०

प्रार्थना पत्र संख्या 71 / 2025

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से
	11.03.2025	उन्हे यही कहते रहे की अभी तो हम वापस चले जाते है किंतु हमने भूमि पर बिल्डिंग मटेरियल का सामान बजरी एव पत्थर इत्यादि डलवा दिए है मौका पाकर इस भूमि को हमारी भूमि मे मिला कर रहेगे तथा भूमि पर कब्जा करके रहेगे । इस आशय की शिकायत प्रार्थीगण द्वारा पुन: संबधित थाना मुहाना थाना अधिकारी के समक्ष लिखित रूप से की किंतु पुलिस द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नही की गई। प्रार्थीगण खाता संख्या 752 पुराना खाता सख्या 711 खसरा नबर 2000 रकबा 0. 10 हैक्टेयर के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थीगण पूर्वजो के समय से उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। इसलिए अप्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है की प्रार्थीगण कि उक्त सपत्ति पर अनादिकृत रूप से प्रवेश कर कब्जा करें तथा अपने स्वय की जमीन मे इसको मिलाये। प्रार्थीगण अप्रार्थी के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं कि अप्रार्थी स्वयं या अपने किसी एजेंट व सर्वेंट से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 2000 रकबा 0.10 हेक्टेयर पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या अनाधिकृत प्रवेश नही करे न स्वय करे ना अन्य से करावे द्य प्रार्थीगण के उपयोग व उपभोग करने मे बाधा उत्पन्न नहीं करें ना ही किसी प्रकार से माल मटेरियल डाले तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे कि प्रार्थीगण के अधिकार प्रभावित होवे । अप्राथी की बहुत ऊंची पहुंच है तथा अप्राथी कभी भी मौका पाक[illegible] प्राथीगण के उक्त भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा कर सकता है इसलि[illegible] प्राथीगण को यह डर बना हुआ है कि अप्राथी कभी उसकी संपत्ति से बेदख[illegible] कर सकता है इसलिए अप्राथी को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाब[illegible] किया जाना आवश्यक है कि अप्राथी प्राथीगण के उक्त भूमि पर जबरन कब्[illegible] नहीं करे ना ही प्राथीगण के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बा[illegible] उत्पन्न करें द्य अप्राथी को प्राथीगण के उक्त भूमि से कोई संबंध व सरोक[illegible] नही है। यदि अप्राथी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो [illegible] अपने कुत्सित उद्देश्यों में सफल हो जाएगा तथा प्राथीगण की भूमि [illegible] नाजायज कब्जा कर निर्माण कर लेगा जिससे प्राथीगण को अकथ[illegible] नुकसान होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी सुविधा का संतुलन प्राथीगण करने के पक्ष में है तथा प्रथम दृश्य मुक[illegible] प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः प्रार्थना पत्र मयशपथ पत्र प्रस्[illegible] का निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वी[illegible] फरमाया जाकर अप्रार्थी को ताफैसला बाद इस आशय की अस्थाई निषेधा[illegible] से पाबंद फरमाया जावे की अप्रार्थी, प्राथीगण को प्रार्थना पत्र के मद नंब[illegible] में वर्णित संपत्ति पर जबरन कब्जा नहीं करें ना ही प्राथीगण के उप[illegible] उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें और ना ही अपने कि[illegible] एजेंट सर्वेंट रिश्तेदार से कारित करावे अन्य अनुतोष जो मान्य न्याया[illegible] उचित समझे दिलाया जावे...लगात[illegible] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

कन्हैयालाल पुत्र रघुनाथ बनाम कन्हैयालाल पुत्र छीतर वगै०

प्रार्थना पत्र संख्या 71 / 2025

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	11.03.2025	दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को ताफैसला बाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे की अप्रार्थी, प्राथीगण को प्रार्थना पत्र के मद नंबर 2 में वर्णित सपत्ति पर जबरन कब्जा नहीं करें ना ही प्राथीगण के उपयोग उपभोग मे किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें और ना ही अपने किसी एजेंट सर्वेंट रिश्तेदार से कारित करावे । बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता व पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि वाद स्थाई निषेधाज्ञा से संबधित है प्रार्थीगण खाता संख्या 752 पुराना खाता सख्या 711 खसरा नंबर 2000 रकबा 0.10 हैक्टेयर के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है अप्रार्थी कन्हैयालाल पुत्र छीतर कुमावत कुछ व्यक्तियों के साथ प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने के प्रयास से आया तथा प्रार्थीगण की भूमि पर बिना अधिकार के अनाधिकृत रूप से घुसने का प्रयास किया तथा स्वयं की भूमि खसरा नबर 2001 व 2002 में वादी की भूमि को मिलाने का प्रयास करने लगा। प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता हैं तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में बखुबी साबित होता हैं यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया जाता है तो उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा व अपूर्तनीय क्षति कारित नहीं होगी बल्कि इसके विपरीत यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। प्रार्थी सर्वप्रथम सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सांगानेर के समक्ष 15 दिवस पेश करे। अतः प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर जिला जयपुर स्थित आराजी कृषि भुमि खाता संख्या 752 पुराना खाता संख्या 711 के खसरा नम्बर 2000 रकबा 0.10 है० में जब तक भूमि का सीमाज्ञान होकर सीमाचिन्ह कामय नही हो जाते तब तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात में दोनो की सीमा पर किसी तरह का परिवर्तन नही करे। प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे और ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट रिश्तेदार से कारित करावे। उक्त आराजीयात में मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	